अनुक्रमणिका

कमांक	विषय
01.	प्राचार्य की कलम से
02.	महाविद्यालय परिचय
03.	पाठ्यक्रम एवं विषय
04.	प्रवेश शुल्क –विवरण
05.	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
06.	प्रवेश के सामान्य नियम
07.	महाविद्यालय के सामान्य नियम
08.	उपस्थिति सम्बन्धी नियम
09.	रैगिंग–आपराधिक कृत्य
10.	सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां
11.	प्रवेश समितियाँ
12.	महाविद्यालयी परिवार

वंदना

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम : कला संकाय

बी.ए. पार्ट प्रथम

स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम में प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रकिया से भरे जाएंगे।

तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में तीन वैकल्पिक विषयों व चार अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा। यह पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ों के सर्वथा अनुरूप है। वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

बी.ए. पार्ट प्रथम–प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान 160 इस वर्ष अभिवृद्धि के आदेश के पश्चात् 200

अनिवार्य विषय

01. सामान्य हिन्दी
02. सामान्य अंग्रेजी
03. प्रारम्भिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन
04. पर्यावरणीय अध्ययन

ऐच्छिक विषय :

निम्नलिखित विषय समूहों में से विद्यार्थी किन्हीं तीन ऐच्छिक विषयों का चयन करेंगे–

Group A	Group B	Group C	Group D
हिन्दी साहित्य अंग्रेजी साहित्य	राजनीतिविज्ञान अर्थशास्त्र	भूगोल चित्रकला	इतिहास

तद्नुसार निम्नांकित विषय संयोजन में से विद्यार्थी को किसी एक विषय संयोजन का आवंटन किया जायेगा। इसलिए विद्यार्थी वरीयता क्रम से कम से कम छः विषय संयोजन को प्रवेश आवेदन पत्र में भरें।

वं २२१

प्रवेश के सामान्य नियम

महाविद्यालय में समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित प्रवेश नीति सत्र 2020–21के अनुसार सम्पन्न होंगे । यह प्रवेश नीति आयुक्तालय की वेबसाइड hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

1. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष स्तर पर प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया से किये जाएंगे।
2. स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सम्पन्न किये जायेंगे।
3. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय/विषय में जितने विद्याार्थियों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
4. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार प्रारम्भ होंगे । प्रवेश लेते समय विद्यार्थी अपना आवेदन–पत्र सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणााम प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि तक घोषित नहीं होतें हैं, वे विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में आगे की कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क जमा करवायेगें।
5. ऑन लाईन आवेदन–पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान.जयपुर की वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जो प्रवेश नीति में दी गई समय सारणी एवं नियमो के अनुसार भरे जायेंगे/प्रवेश सम्बधी सूचनाएँ महाविद्यालय की वेब साइट पर भी उपलब्ध है।
6. प्रवेशार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रवेश नीति में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की प्रति स्केन कर अपलोड करेंगे तथा प्रवेश सूची में नाम आने पर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उन्हीं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वयं

सत्यापित प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी। सामान्यतः प्रवेश हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है :–

(क) अंतिम संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी) की मूल प्रति

(ख) अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका (मार्कशीट) की मूल व दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ

(ग) चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी) की मूल प्रति

(घ)सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका की मूल व दो सत्यापित प्रतिलिपियाँ

(च) यदि प्रवेशार्थी ने राष्ट्रीय सेवा योजना,स्कॉउट, खेलकूद आदि में बोनस अंक हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया है। तो उनके प्रमाण पत्र की मूल व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(छ) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी है जो आयकरदाता नही हैं। वे शिक्षण शुल्क से मुक्ति हेतु तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

(ज) यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछडी जाति /एसबीसी/दिव्यांग/अन्य विशेष श्रेणी (प्रतिरक्षा/कश्मीरी इत्यादी) का है तो उसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे ।

7- नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तद्नुसार संशोधित नियम ही लागु होंगे ।

8- आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के एवं पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिये ।

9- यदि प्रवेशार्थी आवेदन पत्र के साथ किसी भी आवश्यक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नही करेंगा तो उसे सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त प्रवेश सम्बंधी नियम/आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वतः मान्य होंगे।

11- प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को उचित कारण होने पर प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं।

12- महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया अथवा

उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पायी गयी या उसने महाविद्यालय नियमो का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करायें अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अवांछनीय होने के कारण दंडनीय अपराध समझा जायेगा तथा उसका प्रवेश भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

वंदना

महाविद्यालय के सामान्य नियम

1. सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें।
2. विद्यार्थी को महाविद्यालय में अपनी साईकिल, स्कूटर आदि निर्धारित स्थान पर ही रखने चाहिए। यदि कोई वाहन अन्यत्र रखा मिला तो समुचित कार्यवाही (आर्थिक दंड, अनुशासनात्मक कार्यवाही) की जायेगी ।
3. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन का उपयोग करना सर्वथा वर्जित है।
4. किसी विद्याार्थी का व्यवहार महाविद्यालय के प्रांगण में या बाहर ऐसा नहीं होना चाहिये, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुँचे।
5. विद्यार्थियों द्वारा धुम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। महाविद्यालय प्रागंण में यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता पाया गया/पायी गयी तो उसके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
6. विद्यार्थी को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा बैठने से पूर्व उन पर यदि महाविद्यालय का कुछ बकाया है,तो उसे चुकाकर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त कर लेना चाहिए ।अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
7. विद्यार्थी के लिये आवश्यक सूचनाएँ महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जावेगी ।

सूचना पट्ट पर सूचना लगाने का तात्पर्य यह माना जायेगा की विद्यार्थियों को सूचना दे दी गयी है। अतः विद्याार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखना चाहिए।महाविद्यालय ऐसे किसी बहाने को मान्यता नहीं देगा कि विद्यार्थी ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा विद्यार्थी को किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी।

वंदना

8. महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक परिचय पत्र प्रवेश के साथ ही दिया जायेगा। जिसे विद्यार्थी सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरूपयोग न हो, इसलिए परिचय पत्र सत्र में एक बार ही दिया जाएगा। परिचय पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने पर स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा 50 रूपये शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय पत्र दिया जा सकेगा। महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परिचय–पत्र मांगने पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9. विद्यार्थियों को प्राध्यापक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए । किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दण्डनीय होगा ।

10. परिसर की स्वच्छता बनाये रखने में विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है। दीवारों की स्वच्छता व कक्षा में सुव्यवस्थित फर्नीचर विद्यार्थियों के सहयोग से ही सम्भव है। महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना दण्डनीय अपराध होगा ।

11. इन नियमों में परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा।

12. उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राचार्य द्वारा उचित दण्ड दिया जावेगा। जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन भी किया जा सकता है।

13. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम माना जावेगा ।

वंदना

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की हर विषय में (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक कालांशो में) न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कॉलेज शिक्षा द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी चाहे विद्यार्थी ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो । संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले विद्यार्थी इस संदर्भ में सतर्क रहें।

रैगिंग एक –आपराधिक कृत्य

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक नवागन्तुक विद्यार्थी हमारे परिवार की महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई को उन्नत तथा समृद्ध बनाना हमारा दायित्व है। वरिष्ठ विद्यार्थियो से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीन विद्यार्थियों के साथ मधुर, स्नेहिल व सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखें। ये विद्यार्थी वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त विरासत को ही ग्रहण करेंगे। अतः इनका दायित्व और भी अधिक हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने कर्त्तव्यों से विमुख होकर रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रैगिंग की रोकथाम हेतु एंटी रैगिंग समिति से तुरन्त सम्पर्क किया जाना चाहिए ।

वंदना

सह–शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर गतिविधियाँ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के जयपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय में युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत महिला प्रकोष्ठ,छात्र परामर्श केन्द्र ट्रैफिक/रेाड सेफ्टी क्लब ,मानवाधिकार क्लब इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

साथ ही महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास हेतु विभन्न सह–शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर गतिविधियां आयोजित की जाती है। जिससे कि विद्यार्थी समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाकर सुयोग्य नागरिक बन सके । आयुक्तालय द्वारा आदेशित अन्य विविध कार्यक्रम भी समय–समय पर आयोजित करवायें जायेंगे।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य छात्राओ को जागरूक करना है। प्रत्येक छात्रा इसकी अनिवार्य रूप से सदस्य होती है। यह प्रकोष्ठ छात्राओं हेतु शैक्षणिक व शिक्षणेतर गतिविधियों का संचालन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है एवं छात्राओं को महिला उत्थान व सशक्तिकरण हेतु प्रेरित करता है। इस हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राएँ सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने हेतु महाविद्यालय में यौन उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया गया है। पीड़िता अपनी शिकायत प्राचार्य अथवा समिति के संयोजन को लिखित रूप में प्रेषित कर सकती है